डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्रमांक भोपाल—505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्र. 161] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 1979—चैत्र 27, शके 1901

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 1979.

क्र. 10757-इक्कीस-अ (प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 1[illegible] अप्रैल 1979 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. भट्ट, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् १९७९

मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९

विषय-सूची

धाराएं:

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
२. अधिनियम का लागू होना.
३. परिभाषाएं.
४. कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किये जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति.
५. अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध.
६. वादों या कार्यवाहियों का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान.
७. शास्तियां.
८. विच्छिन्न करने हेतु उद्दीप्त करने या उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिये शास्ति.
९. अपराधों का संज्ञान.
१०. अपराधों का विचारण, आदि.
११. निरसन.

अनुसूची.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् १९७९

मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९

[दिनांक १७ अप्रैल १९७९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक १७ अप्रैल १९७९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य में अत्यावश्यक सेवाओं के संधारण के लिये उपबंध करने तथा ऐसी सेवाओं के विच्छिन्न किये जाने के लिये शास्ति का उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह तत्काल प्रवृत्त होगा.

अधिनियम का लागू होना.

२. यह अधिनियम, अत्यावश्यक सेवा से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (आपरेटिव) तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों को लागू होगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में, अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अन्तर्गत आते हैं वे व्यक्ति:—

(एक) जो ठेके पर रखे गये हैं;

(दो) जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं;

(तीन) जिन्हें आकस्मिक व्यय (कन्टिन्जेन्सीज) में से भुगतान किया जाता है; और

(चार) जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित किये गये हैं.

परिभाषाएं.

३. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अत्यावश्यक सेवा" से अभिप्रेत है अनुसूची में वर्णित की गई सेवा;

(ख) किसी अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में, "कार्य करने से इन्कार करना" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि प्रतिषेध धारा ४ के अधीन किया गया है.

कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किया जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति.

४. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोकहित में या लोक व्यवस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी अत्यावश्यक सेवा में तथा ऐसी तारीख से जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, कार्य करने से इन्कार किया जाने का प्रतिषेध कर सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया कोई आदेश, केवल तीन मास तक प्रवृत्त रहेगा, किन्तु राज्य सरकार वैसे ही आदेश द्वारा, उसे समय-समय पर किसी ऐसी कालावधि के लिये, जो एक बार में तीन मास से अधिक की नहीं होगी बढ़ा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है.

(३) उपधारा (१) के अधीन किया गया कोई आदेश, ऐसी रीति में प्रकाशित किया जायगा जिसे राज्य सरकार उसे सर्व संबंधित के ध्यान में लाने के लिये उचित समझे.

५. धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित है, चाहे अकेले या सम्मिलित रूप में,—

अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध.

(एक) हड़ताल करके या अन्य प्रकार से, पूर्ण या आंशिक कार्य विराम का आश्रय नहीं लेगा; या

(दो) अत्यावश्यक कार्य समाप्त होने पर, कार्य करने से इन्कार या अस्वीकार नहीं करेगा, जब कि ऐसा कार्य अत्यावश्यक सेवा के संधारण के लिए आवश्यक हो; या

(तीन) किसी संस्थापना (इन्स्टालेशन), मशीनरी, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय-अभिलेख या किसी अन्य संपत्ति का ग्रहण नहीं करेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचायेगा या उसे विनष्ट नहीं करेगा या ऐसे कार्य के किये जाने का प्रयत्न नहीं करेगा या उसका दुष्प्रेरण नहीं करेगा; या

(चार) छुट्टी की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा; या

(पांच) कलम बन्द करने, टेलीफोन बन्द करने, औजार बन्द करने, नियमानुसार काम करने, धीमी गति से काम करने जैसे किसी भी क्रियाकलाप का जिसे चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, जिसकी कि परिणति कार्य-विराम या कार्य-मंदता में होती है, का आश्रय नहीं लेगा; या

(छः) ऐसे कार्य या कार्यलोप का आश्रय नहीं लेगा जिसकी कि परिणति असामान्य कामकाज की विच्छिन्नता में होती हो; या

(सात) किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने से निवारित या बाधित नहीं करेगा.

६. (१) धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन किये गये किसी आदेश की विधिमान्यता को प्रश्नगत करने वाले किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता जिला न्यायाधीश के न्यायालय को होगी और जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय को नहीं होगी.

वादों या कार्यवाहियों का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान.

(२) उपधारा (१) के अधीन के किसी वाद या कार्यवाही में, जिला न्यायाधीश का न्यायालय रोक (स्टे) या व्यादेश देने वाला कोई आदेश एकपक्षीय रूप से नहीं करेगा.

७. (१) जो कोई धारा ५ के उपबन्धों में से उसके खण्ड (तीन) के उपबन्धों को छोड़कर किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

शास्तियां.

(२) जो कोई धारा ५ के खण्ड (तीन) के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा वह, किसी भी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अधिरोपित की जाने योग्य हो, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

८. जो कोई—

विच्छिन्न करने हेतु उद्दीप्त करने या उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिए शास्ति.

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अत्यावश्यक सेवा के संबंध में सेवा कर रहा हो, धारा ५ के अधीन प्रतिषिद्ध किये गये किसी क्रियाकलाप का आश्रय लेने के लिए उकसायेगा, उद्दीप्त करेगा या उत्प्रेरित करेगा; या

(दो) धारा ५ के अधीन प्रतिषिद्ध किये गये किसी क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए या उसके समर्थन में कोई धन व्यय करेगा या अत्यावश्यक सेवा के संबंध में सेवा कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को कोई धन या सामग्री प्रदाय करेगा,

उसके बारे में यह समझा जायगा कि उसने उस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन किया है और तद्नुसार वह इस बात के दायित्वाधीन होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाकर उसे दण्डित किया जाय.

अपराधों का संज्ञान. ९ इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा.

अपराधों का विचारण, आदि १० (१) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायगा.

(२) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (क्रमांक २ सन् १९७४) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन के समस्त अपराधों के निवारण, अन्वेषण, जांच तथा विचारण को लागू होंगे.

निरसन. 11. मध्यप्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश, १९७८ (क्रमांक ६ सन् १९७८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

अनुसूची

[धारा ३ (क) देखिए]

क—वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (आपरेटिव) तथा अनुसचिवीय व्यक्ति, जो—

(एक) विद्युत् के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण;

(दो) लोक तथा राज्य मोटर परिवहन तथा कर्मशालाओं;

(तीन) लोक स्वास्थ्य;

(चार) लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी;

(पांच) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों से संबंधित हों.

ख—राज्य में के माध्यमिक शिक्षा मण्डल की या विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त किये गये व्यक्ति.

स्पष्टीकरण:—अभिव्यक्ति "परीक्षाओं का संचालन" के अन्तर्गत आते हैं वीक्षण (इनविजिलेशन) तथा पर्यवेक्षण, प्रश्नपत्रों का बनाया जाना, अनुसीमन (माडरेशन), उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा कोई अन्य ऐसा क्रियाकलाप जिनका कि परीक्षाओं के संबंध में मण्डल या विश्वविद्यालयों द्वारा हाथ में लिया जाना अपेक्षित हो.

———

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 1979

क्र. 10758-इक्कीस-अ (प्रा.).--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. भट्ट, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 1979.

THE MADHYA PRADESH ATYAVASHYAK SEVA SANDHARAN TATHA VICHCHHINNATA NIVARAN ADHINIYAM, 1979

TABLE OF CONTENTS

Sections :—

1. Short title, extent and commencement.
2. Application of Act.
3. Definitions.
4. Power to prohibit refusal to work in certain essential services.
5. Prohibition of certain activities in essential service.
6. Cognizance of suits or proceedings by the Court of District Judge.
7. Penalties.
8. Penalty for incitement or inducement or giving any financial aid or support for disruption.
9. Cognizance of offences.
10. Trial of offences, etc.
11. Repeal.

SCHEDULE

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 1979.

THE MADHYA PRADESH ATYAVASHYAK SEVA SANDHARAN TATHA VICHCHINNATA NIVARAN ADHINIYAM, 1979.

[Received the assent of the Governor on the 17th April 1979; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 17th April 1979.]

An Act to provide for maintenance of essential services and to provide a penalty for disruption of such services in the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Application of Act.

2. This Act shall apply to scientific, technical, executive, operative and ministerial personnel connected with essential service.

Explanation.—In this section personnel connected with essential service shall include :—

(i) persons engaged on contract;

(ii) persons not in whole time employment;

(iii) persons paid out of contingencies; and

(iv) persons employed in work charged establishments.

Definitions.

3. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "essential service" means the service specified in the Schedule;

(b) "refusal to work" in relation to personnel connected with an essential service means commission of any act by such personnel which is prohibited under section 5.

Power to prohibit refusal to work in certain essential services.

4. (1) If the State Government is satisfied that in the public interest or in the interest of public order, it is necessary or expedient so to do, it may, by general or special order, prohibit refusal to work in such essential service and from such date as may be specified in the order.

(2) An order under sub-section (1) shall be in force for a period of three months only, but the State Government may, by a like order, extend it from time to time for any period not exceeding three months at a time, if it is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient so to do.

(3) An order made under sub-section (1) shall be published in such manner as the State Government consider fit to bring it to the notice of all concerned.

Prohibition of certain activities in essential services.

5. As from the date specified in the order made under sub-section (1) of section 4, no person connected with an essential service shall, whether singly or acting in a concerted manner,—

(i) resort to a total or partial cessation of work by refusal or otherwise; or

(ii) refuse to work beyond normal working hours where such work is necessary for the maintenance of the essential service; or

(iii) cause deterioration, damage or destruction to any installation, machinery, plant, vehicle, building, office record or any other property or attempt or abet the doing of such act, or

(iv) absent himself from duty without prior sanction of leave; or

(v) resort to any activity such as pendown, telephone down, tool down, chakka jam, go slow or any other activity by whatever name called, resulting in cessation or retardation of work; or

(vi) take recourse to acts of commission or omission resulting in disruption of normal working; or

(vii) prevent or obstruct any person from attending or discharging his duties.

Cognizance of suits or proceedings by the Court of District Judge.

6. (1) The Court of District Judge shall have, and any Court subordinate to it shall not have, jurisdiction to entertain any suit or proceeding calling in question the validity of any order made under sub-section (1) of section 4.

(2) In a suit or proceeding under sub-section (1) the Court of District Judge shall not make exparte order granting stay or injunction.

Penalties.

7. (1) Whoever contravenes, abets or attempts to contravene any of the provisions of section 5, except clause (iii) thereof, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

(2) Whoever contravenes, abets or attempts to contravene any of the provisions of clause (iii) of section 6 shall, without prejudice to any penalty that may be imposable under any other enactment for the time being in force, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to five thousand rupees.

Penalty for instigation, inducement, giving any financial aid or support thereto.

8. Whoever,—

(i) instigates, incites or induces any person serving in connection with an essential service to resort to any activity prohibited under section 5; or

(ii) expends or supplies any money or material to any person or body of persons serving in connection with an essential service in furtherance or support of any activity prohibited under section 5,

shall be deemed to have contravened the provisions of that section and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Cognizance of offences.

9. Every offence under this Act shall be cognizable.

Trial of offences etc.

10. (1) Every offence punishable under this Act shall be tried by a Judicial Magistrate of the first class.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) shall apply to prevention, investigation, inquiry and trial of all offences under this Act.

SCHEDULE

[*See* section 3 (a)]

A—Scientific, technical, executive, operative and ministerial personnel connected with—

(i) Electricity generation, transmission and distribution,

(ii) Public and State motor transport and workshops,

(iii) Public health,

(iv) Public Health Engineering,

(v) Municipal corporations, municipal councils, notified area committees and Special Area Development Authorities.'

B—Personnel appointed for conduct of examinations of the Board of Secondary Education or of Universities in the State.

Explanation.—The expression 'conduct of examination' includes invigilation and supervision, paper setting, paper moderation, paper valuation and any other activity required to be undertaken by the Board or University in connection with examination.

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1979

डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति पत्र क्र. भोपाल एम.पी. सि. पू. भू./04-भोपाल 2002.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2002.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी 2002—माघ 30, शक 1923

गृह विभाग

(सी–अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2002

क्र. एफ. 35-66-2002 सी-1.— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किया जाने का प्रतिषेध किया जाय;

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किया जाने का तारीख 19 फरवरी, 2002 से प्रतिषेध करती है :—

अनुसूची

क. वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (आपरेटिव) तथा अनुसचिवीय व्यक्ति, जो—

(1) विद्युत् के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण;
(2) लोक तथा राज्य मोटर परिवहन तथा कर्मशालाओं;
(3) लोक स्वास्थ्य;
(4) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी;
(5) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों, औद्योगिक क्षेत्र समितियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों से संबंधित हों.

ख. वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (आपरेटिव) तथा अनुसचिवीय कार्मिक, जो—

(1) उचित मूल्य की दुकानों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से;

(2) (क) खाद्यान्नों; और

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन यथा-परिभाषित अन्य आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपापन से;

(3) दुग्ध वितरण, पशुधन और पशु-चिकित्सा तथा पशुपालन और कुक्कुट-पालन सेवाओं से;

(4) मध्यप्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 1976 द्वारा शासित मध्यप्रदेश सचिवालय सेवाओं से;

(5) मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय की सेवाओं से;

(6) विभागाध्यक्षों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं से;

ख. परीक्षाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति—

(1) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश;

(2) मध्यप्रदेश राज्य में के समस्त विश्वविद्यालय;

(3) व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश;

ग. संसद के या राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के संचालन के लिए नियुक्त व्यक्ति; और

घ. ऐसे कार्मिक जिन्हें भूकम्प या अन्य प्राकृतिक विपत्ति या कोई अन्य विपत्ति या संकट के कारण प्रभावित व्यक्तियों को हुई हानि के निर्धारण तथा मूल्यांकन और उनकी सहायता, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन से संबंधित कार्य सौंपा गया हो, से संबंधित हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. अरोड़ा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2002

क्र. एफ. 35-66-2002-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 35-66-2002-सी-1, दिनांक 19 फरवरी 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. अरोड़ा, सचिव.

Bhopal, the 19th February 2002

No. F. 35-66-2002-C-I.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the said Schedule with efffect from the 19th February, 2002:—

SCHEDULE

A. Scientific, technical, executive, operative and ministerial personnel connected with —

(1) Electricity generation, transmission and distribution;

(2) Public and State motor transport and workshops;

(3) Public Health;

(4) Public Health Engineering;

(5) Municipal Corporations, Municipal Councils, notified area committees and Special Area Development Authorities.

AA. Scientific, technical, executive, operative and ministerial personnel connected with —

(1) Public distribution system of fair price shops;
(2) Procurement under public distribution system of—
(a) food grains, and
(b) other essential commodities as defined under the Essential Commodities Act, 1955;
(3) Distribution of milk, live-stock and Veterinary and Animal Husbandry and Poultry Services;
(4) The Madhya Pradesh Secretariat Services governed by the Madhya Pradesh Secretariat Services Recruitment Rules, 1976;
(5) The services of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya;
(6) The services under the Heads of Departments and their subordinate offices;

B. Personnel appointed for conduct of examinations by the following—

(1) Board of Secondary Education, Madhya Pradesh;
(2) All Universities in the State of Madhya Pradesh;
(3) Professional Examinations Board, Madhya Pradesh;

C. Personnel appointed for conduct of Elections to Parliament or to the State Legislature; and

D. Personnel entrusted with the work relating to assessment and valuation of loss caused and relief, rehabilitation and resettlement of persons affected due to earthquake or other natural calamity or any other calamity or crisis.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. C. ARORA, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.